

बाह्य छात्रावास हेतु निविदा की शर्तें

1. 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति हेतु छात्रावास में विद्युत कनेक्शन के साथ-साथ जेनरेटर की व्यवस्था अनिवार्य है।
2. छात्रों की सुरक्षा हेतु छात्रावास में सी.सी.टी.वी. कैमरों की व्यवस्था अनिवार्य है।
3. छात्रावास कम से कम 400 वर्ग गज अथवा उससे अधिक के भूखण्ड पर निर्मित होना चाहिए तथा कमरे हवादार होने चाहिए। छात्रावास में पर्याप्त मात्रा में बाथरूम एवं शौचालय होने चाहिए। प्रति 08 छात्रों पर एक बाथरूम एवं एक शौचालय की न्यूनतम व्यवस्था होना अनिवार्य है।
4. छात्रावास के अंतःवासी छात्रों के जलपान/भोजन आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराना अनिवार्य है। भोजन व्यवस्था हेतु छात्रावास परिसर में ही पृथक स्थान / मेस उपलब्ध होना चाहिए तथा छात्रों को बैठाकर भोजन कराने की व्यवस्था होनी चाहिए।
5. छात्रावास प्रबंधन को किसी सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थान के छात्रों को छात्रावास में रखने एवं छात्रावास को संचालित करने का कम से कम 05 वर्षों का अनुभव अनिवार्य है। इस हेतु छात्रावास प्रबंधन को संबंधित सरकारी शिक्षण संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र एवं संस्थान तथा छात्रावास प्रबंधन के मध्य किये गये अनुबंध की छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. छात्रों के पीने के पानी हेतु आर. ओ. वाटर एवं वाटर कूलर की व्यवस्था भी छात्रावास में अनिवार्य है।
7. छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु चिकित्सक की नियमित व्यवस्था होनी चाहिये। इस हेतु चिकित्सक की सहमति का पत्र संलग्न होना चाहिए।
8. छात्रावास में छात्रों के आवागमन हेतु कम से कम एक वाहन की व्यवस्था स्थाई तौर पर उपलब्ध होनी चाहिए तथा वह वाहन छात्रावास परिसर में सदैव उपलब्ध रहना चाहिए जिससे किसी आपात स्थिति में छात्रों को आवागमन भी उपलब्ध हो सके। अतः वाहन उपलब्धता के संबंध में अभिलेख भी उपलब्ध कराया जाय।
9. छात्रावास की सफाई आदि की उचित व्यवस्था होनी चाहिये।
10. पढाई के दृष्टिगत छात्रावास के आस-पास शोरगुल इत्यादि संबंधित गतिविधिया नहीं होनी चाहिये।
11. छात्रावास संचालक द्वारा कोविड 19 की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक छात्र के लिये अलग आवासीय व्यवस्था होना अनिवार्य है।
12. छात्रावास हेतु प्रति छात्र एवं प्रतिमाह की दरें उपलब्ध कराई जाए।

Om
28.09.2021

Sharma
28/9/2021